



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. 3rd (SOS) Application No.  
579/2023

in

S.B. Criminal Appeal No. 429/2022

Mangilal Son Of Amarlal, Aged About 34 Years,  
Resident Of Mahua Kho Thana Iklera District  
Jhalawar Raj (Accused Is Confined In Baran Jail Since  
08.03.2022)

-----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

---

For Appellant(s) : Mr. Rajveer Saini, Adv.  
For : Mr. Sanjeev Mahala, PP  
Respondent(s)

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Order**

**07/07/2023**

प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से धारा 389 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत तृतीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी—अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. मामलात, बांरा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 05/2011 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 08.03.2022 के

माध्यम से धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। अभियुक्त का पूर्व में प्रथम दण्डादेश स्थगन आवेदन दिनांक 29.06.2022 को वापिस लिये जाने तथा द्वितीय दण्डादेश स्थगन आवेदन दिनांक 19.10.2022 को गुण-दोषों पर खारिज किया गया था, तत्समय अभियुक्त 13 माह की सजा भुगत चुका था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि पांच वर्ष की सजा के मुकाबले वह दो वर्ष की सजा भुगत चुका है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि अभियुक्त के विरुद्ध 3 अन्य आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज हो रखे हैं, लेकिन वर्तमान में उसकी अभिरक्षा अवधि, निकट भविष्य में अपील के निस्तारण नहीं होने की संभावना आदि को देखते हुए प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण

पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह तृतीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **मांगीलाल पुत्र अमरलाल** इस न्यायालय में **दिनांक 08.08.23** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 08.03.2022** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J